



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220802  
CG-DL-E-31072020-220802

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2285]  
No. 2285]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2579(अ).—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, नामतः:

1. (1) इस योजना को यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन, योजना, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973,—
  - (i) पैरा 10 में “दो सौ करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच हजार करोड़” तथा “बीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

## (ii) दूसरी अनुसूची में

(क) भाग 1, पैरा 2 में “दो सौ करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच हजार करोड़” तथा “बीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) भाग 2, पैरा 1 में “दो सौ करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच हजार करोड़” तथा “बीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा.सं. 14013/12/2020-बीमा-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पणः** मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 31 दिसम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ.804(अ) में प्रकाशित की गई थी और इसमें 12 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या का.आ.731(अ) और 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.927(अ) द्वारा अतिरिक्त संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2020

**S.O.2579(E).**— In exercise of the power conferred by sub-sections (1) and (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment, Scheme, 2020.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973,—
  - (i) in paragraph 10, for the words “two hundred crore divided into twenty crore”, the words “five thousand crore divided into five hundred crore” shall be substituted;
  - (ii) in the Second Schedule,—
    - (a) in Part I, in paragraph 2, for the words “two hundred crore divided into twenty crore”, the words “five thousand crore divided into five hundred crore” shall be substituted;
    - (b) in Part II, in paragraph 1, for the words “two hundred crore divided into twenty crore”, the words “five thousand crore divided into five hundred crore” shall be substituted.

[F. No.14013/12/2020-Ins II]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

**Note:** The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 804(E), dated the 31st December, 1973 amended further vide Notifications number S.O. 731(E), dated the 12th October, 1982, and last amended vide notification number S.O.927(E), dated the 16th October, 2000.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

**का.आ. 2580(अ).**—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उप-धारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, नामतः:

1. (1) इस योजना को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) द्वितीय संशोधन, योजना, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973, —
  - (i) पैरा 10 में “दो हजार छः सौ करोड़” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ तथा “दो सौ साठ करोड़” के स्थान पर “सात सौ पचास करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) दूसरी अनुसूची में
    - (क) भाग 1, पैरा 2 में “दो हजार छः सौ करोड़” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़” तथा “दो सौ साठ करोड़” शब्दों के स्थान पर “सात सौ पचास करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
    - (ख) भाग 2, पैरा 3 में “दो हजार छः सौ करोड़” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़” तथा “दो सौ साठ करोड़” शब्दों के स्थान पर “सात सौ पचास करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 14013/12/2020-बीमा-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 31 दिसम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ.806(अ) में प्रकाशित की गई थी और इसमें 12 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या का.आ.773(अ), 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.929(अ), और दिनांक 18 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1124 (अ) द्वारा अतिरिक्त संशोधन किया गया।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2020

**S.O. 2580 (E).**—In exercise of the power conferred by sub-sections (1) and (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the National Insurance Company Limited (Merger) Second Amendment, Scheme, 2020.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973,—
  - (i) in paragraph 10, for the words, “two thousand six hundred crore divided into two hundred sixty crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted;
  - (ii) in the Second Schedule,—

- (a) in Part I, in paragraph 2, for the words “two thousand six hundred crore divided into two hundred sixty crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted;
- (b) in Part II, in paragraph 3, for the words “two thousand six hundred crore divided into two hundred sixty crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted.

[F. No.14013/12/2020-Ins II]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

**Note:** The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 806(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 1973, amended vide notifications number S.O.733(E), dated the 12<sup>th</sup> October, 1982 then amended vide notifications number S.O.929(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2000 and S.O.1124(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

**का.आ.2581(अ).**—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उप-धारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, नामतः

1. (1) इस योजना को ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) द्वितीय संशोधन, योजना, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973, —
  - (i) पैरा 11 में “दो सौ पचास करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच हजार करोड़” तथा “पच्चीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) दूसरी अनुसूची में
    - (क) भाग 1, पैरा 3 में “दो सौ पचास करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच हजार करोड़” तथा “पच्चीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
    - (ख) भाग 2, पैरा 1 में “दो सौ पचास करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच हजार करोड़” तथा “पच्चीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ करोड़” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 14013/12/2020-बीमा- II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण:** मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 31 दिसम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ.805(अ) में प्रकाशित की गई थी और इसमें 12 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या का.आ.732(अ), 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.928(अ), और दिनांक 18 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1125 (अ) द्वारा अतिरिक्त संशोधन किया गया।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2020

**S.O. 2581(E).**— In exercise of the power conferred by sub-sections (1) and (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Second Amendment, Scheme, 2020.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973,—
  - (i) in paragraph 11, for the words “two hundred fifty crore divided into twenty five crore”, the words “five thousand crore divided into five hundred crore” shall be substituted;
  - (ii) in the Second Schedule,—
    - (a) in Part I, in paragraph 3, for the words “two hundred fifty crore divided into twenty five crore”, the words “ five thousand crore divided into five hundred crore” shall be substituted;
    - (b) in Part II, in paragraph 1, for the words “two hundred fifty crore divided into twenty five crore”, the words “five thousand crore divided into five hundred crore” shall be substituted.

[F. No.14013/12/2020-Ins II]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

**Note:** The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 805(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 1973 amended further vide Notifications number S.O. 732(E), dated the 12<sup>th</sup> October, 1982, S.O.928(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2000 and S.O.1125(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2020.